भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1836

10.02.2026 को उत्तर के लिए नियत

बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास

1836. श्री नारायणदास अहिरवारः

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बुनियादी ढांचे के निर्माण, निवेश प्रोत्साहन, कौशल विकास और उद्यमिता को प्रोत्साहन के माध्यम से बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार द्वारा अब तक उठाए गए ठोस और प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार निकट भविष्य में बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेष औद्योगिक गलियारे, कृषि आधारित उद्योग, एमएसएमई पार्क या खनन आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए कोई व्यापक और समयबद्ध कार्य-योजना तैयार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने और वहां विशेष वित्तीय और नीतिगत प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) : कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) से मिली जानकारी के अनुसार, प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) देश भर के युवाओं को कौशलपूर्ण बनाने के उद्देश्य से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के देशव्यापी नेटवर्क के ज़रिए शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) कार्यान्वित करता है। वर्ष 2021-25 के नामांकन सत्र के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र में सीटीएस योजना के तहत कुल 238 आईटीआई काम कर रहे हैं।

भारी उद्योग मंत्रालय ने "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन स्कीम- चरण-II" की शुरुआत की है। यह अखिल भारतीय स्तर पर मांग आधारित स्कीम है, जिसके तहत देश के किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से उद्योग भागीदार के साथ मिलकर परियोजना कार्यान्वित करने वाले संगठनों (पीआईओ) को परियोजनाएं प्रस्तुत करनी होती है। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के तहत बुंदेलखंड क्षेत्र से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) : शून्य ।

******